6/6/18 पत्रावली अंतिम बहस हेतु पुकार में पेश हुई। वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पैरवी अनुसार होकर नकल संलग्न हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र -5

राजस्थान सरकार

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)कैम्प......पुर

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

उनवान

मोहनलाल बनाम जगलसिंह

वा बाबतः- धारा 188 राज. काश्त. अधि.

कदमा नम्बरः- 153/17

र्णय दिनांकः- 6.6.2018

वादी की ओर से अधिवक्ता की व प्रतिवादी की ओर से —
की उपस्थिति में आज तारीख ....को ....(नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि - वादीगण वाद विवादित आराजी खसरा नं. 215/0.3300, 182/1.2400 हैक्टेयर वाके ग्राम मोहमदाबाद तहसील कोटकासिम डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वो आम रास्ता खसरा नं. 216 व 217 को छोड़ कर आराजी खसरा नं. 183 में आने जाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी रास्ता का निर्माण ना करे, ना ही डोल निर्माण करे, ना ही विवादित आराजी में कोई नाजायज कब्जा करे, ना ही रास्ता कायम करे ना ही वादी की काश्त कार्य में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, मौके की यथास्थिति कायम रखें।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 6.6.18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

6/6/18

(विश्वामित्र मीना R.A.S)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर ,कोटकासिम

वाद के खर्चे

Scanned by CamScanner